भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 नवम्बर, 2005

संख्या का०आ० 87/ह०अ०6/2003/धा० 57/2005.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 57 की उप-धारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अधिकरण के कृत्यों का पालन करने तथा शक्तियों को प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए तुरन्त प्रभाव से श्रीमति अमरजीत सचदेवा, अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त (सेवानिवृत) को हरियाणा कर अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०78/ह०अ०6/2003/धा०57/2003, दिनांक 15 मई, 2003, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०78/ह०अ०6/2003/धा०57/2003, दिनांक 15 मई, 2003, में क्रम संख्या 1 में मद (3) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) श्रीमति अमरजीत सचदेवा, अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त (सेवानिवृत) : सदस्य ।" ।

2. सदस्य का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

3. अधिकरण का सदस्य, उक्त अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (8) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार पद धारण करेगा ।

एल० एस० एम० सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th November, 2005

No. S.O. 87/H.A. 6/2003/S. 57/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (5) of section 57 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), the Governor of Haryana hereby appoints Smt. Amarjeet Sachdeva, Additional Excise and Taxation Commissioner (Retired) to be member of the Haryana Tax Tribunal with immediate effect for the purposes of performing the functions and exercising the powers of the Tribunal under the said Act and makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. S.O. 78/H.A. 6/2003/S. 57/2003, dated the 15th May, 2003, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. S.O. 78/H.A. 6/2003/S. 57/2003, dated the 15th May, 2003, in serial number 1, for item (3) and entires thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

"(3) Smt. Amarjeet Sachdeva : Member . ".
Additional Excise and Taxation Commissioner
(Retired)

2. The headquarter of the Member shall be at Chandigarh.

3. The Member of the Tribunal shall hold office as per provisions contained in sub-section (8) of section 57 of the said Act.

L. S. M. SALINS,
Financial Commissioner & Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

40100—L R —H.G.P., Chd.

Regd. No. PB/0176/2003-2005

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2005 (KARTIKA 27, 1927 SAKA)

हरियाणा सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 2005

नं० वि० एवं प्रौ०/1525.—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद में ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार की मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। विभाग के अन्तर्गत दो संस्थाएं काम कर रही हैं हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् (हरकोसट) तथा हरियाणा राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (हरसक)। वर्षाधीन रिपोर्ट के दौरान विभाग ने कुल 165.77 लाख रुपये की धनराशि खर्च की ।

विभाग ने राज्य के पांच वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनारों/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत करने के लिए एक लाख पैंसठ हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई।

वर्ष 2002-2003 के दौरान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् ने राज्य में अपनी चालू परियोजनाओं के लिए 81 लाख रुपये भारत सरकार से व 93.33 लाख रुपये राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त किए । स्कूल विद्यार्थियों हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विज्ञान लोकप्रिय कार्यक्रम जैसे निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, विज्ञान बाल कांग्रेस इत्यादि का आयोजन किया गया।

विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तीन स्तरों जिला, जोन एवं राज्य स्तर पर आयोजित की गई। जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक जिले से सात उत्तम टीमें चुनी गई जिन्होंने जोनल स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। जोनल स्तरीय प्रतियोगिता अम्बाला, हिसार, गुड़गांव व रोहतक में आयोजित की गई । राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 29 जनवरी, 2003 को पंचकूला में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक इनाम दिये गये।

हरियाणा विज्ञान मंच रोहतक के सहयोग से तेरह जिलों में विज्ञान कांग्रेसों का आयोजन किया। राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हरियाणा विज्ञान मंच, रोहतक ने करवाया तथा इसके आयोजन के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (एन० सी० एस० टी० सी०), भारत सरकार ने धनराशि उपलब्ध करवाई। राज्य स्तर के लिए धनराशि एन० सी० एस० टी० सी०, भारत सरकार द्वारा दी गई । जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करवाने के लिए परिषद् ने 2.76 लाख रुपये खर्च किए।

विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया।

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत जारी परियोजनाओं को दूसरे वर्ष की राशि प्रदान की गई। वह परियोजनाएं निम्न हैं :—

(i) Ecological Status based on the survey of Medicinal and Aromatic Plants of Haryana.

(ii) Development of antiasthmatic agents.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी की नीति तैयार की, इस नीति को राज्य सरकार ने मंजूरी दी । राज्य में जनसंख्या के बड़े